प्रेस प्रकाशनी

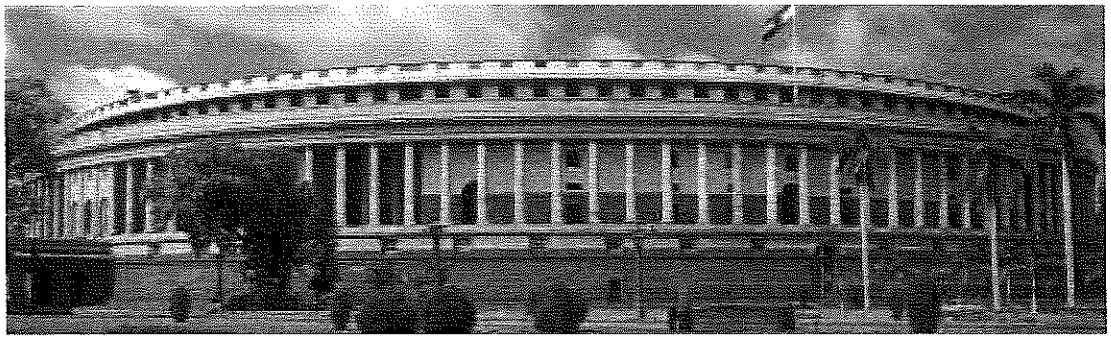

06-12-2019

इस्पात मंत्रालय की "अनुदानों की मांगों (2020-21)" के संबंध में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति का आठवां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)

श्री राकेश सिंह, संसद सदस्य तथा कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति (2019-20) के सभापति ने आज, 12 मार्च, 2019 को लोक सभा में इस्पात मंत्रालय की "अनुदानों की मांगों (2020-21)" के संबंध में आठवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां/सिफारिशें निम्नवत हैं:-

<u>इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान और विकास संबंधी योजना के प्रोत्साहन के लिए पर्याप्त धन का अनुरोध किया गया।</u>	समिति ने नोट किया है कि 'लौह और इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के प्रोत्साहनार्थ योजना' को ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया, जिसका उद्देश्य नवीन और प्रवर्तक प्रौद्योगिकियों के विकास, भारतीय लौह अयस्क फाइन्स और गैर-कोकिंग कोयले के उपयोग, इंडक्शन फर्नेस रूट के माध्यम से उत्पादित इस्पात की गुणवत्ता में सुधार और लौह अयस्क, कोयला आदि जैसी कच्ची सामग्रियों और संकुल (अर्थात पेलेटाइजेशन) का लाभकारी उपयोग करके अनुसंधान और विकास कार्यकलापों को प्रोत्साहन देना और उनमें तेजी लाना है। इस योजना को वित्त वर्ष 2009-2010 (01.04.2009) में कार्यान्वयन के लिए 23.01.2009 को स्वीकृति दी गई। तत्पश्चात, यह बारहवीं पंचवर्षीय योजना में जारी रही और वित्त मंत्रालय की सलाह पर स्टील केब्रीकेटर सर्टिफिकेट (एसएफसी) की स्वीकृति से 14वें वित्त आयोग की शेष अवधि के लिए इसकी अवधि बढ़ा दी गई। वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के दौरान, इस्पात मंत्रालय ने अनुसंधान और विकास योजना पर क्रमशः 15.00, 14.00 करोड़ रुपए और 15.00 करोड़ रुपए व्यय किए। वर्ष 2019-20 में 15.00 करोड़ रुपए के धन आवंटन की तुलना में दिसम्बर, 2019 तक 11.79 करोड़ रुपए व्यय किए गए। समिति ने नोट किया है कि इस योजना के लिए बजट अनुमान 2020-21 में सकल बजट सहायता केवल 15.00 करोड़ रुपए है, जबकि इस्पात मंत्रालय ने 100 करोड़ रुपए के वित्त पोषण का प्रस्ताव किया था। मंत्रालय का विचार इस वर्ष में चल रही परियोजनाओं और पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल कुछ नई परियोजनाओं के वित्त पोषण का था। घटे हुए आवंटन के कारण, प्रयोगशाला और पायलट स्केल की अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को ही आरंभ किया जाएगा, जैसा कि मंत्रालय ने बताया है। समिति ने यह भी नोट किया है कि निजी कंपनियां अपने उन अनुसंधान और विकास कार्यों में निवेश कर रही हैं, जिन्हें वे साझा नहीं कर रही हैं और ये निजी ही रहते हैं और बाजार की अन्य कंपनियों को इनसे कोई लाभ नहीं हो रहा। इसके मद्दे-नजर, समिति की यह सुविचारित राय है कि सरकार के लिए यह उचित होगा कि वह लौह और इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन देने के लिए इस्पात मंत्रालय को योजनाओं में निवेश करने के लिए पर्याप्त बजट सहायता प्रदान करे ताकि

	वह इस क्षेत्र की सभी कंपनियों के लाभ के लिए अपने अनुसंधान कार्यकलापों को समृद्ध कर सकें। (सिफारिश सं. 1)
इस्पात मंत्रालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी कंपनियों से अपने-अपने अनुसंधान और विकास को साझा करने का आग्रह किया गया।	समिति ने नोट किया है कि भारत में, सेल, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील और एस्सार स्टील जैसी अगुणी इस्पात कंपनियों द्वारा अपनी स्वयं की धनराशि से काफी अनुसंधान और विकास किया जा रहा है और उसे साझा नहीं किया जा रहा है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर), नेशनल मेटलर्जीकल लेबोरेटरी (एनएमएल) जमशेदपुर और इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल्स एण्ड मैटीरियल्स टेक्नोलॉजी (आईएमएमटी) भुवनेश्वर जैसी प्रयोगशालाओं और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटीज) और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एनआईटीज) जैसे अकादमिक संस्थानों द्वारा इस्पात क्षेत्र में हो रहे अनुसंधान और विकास कार्य का अनुसरण किया जा रहा है। समिति को यह भी बताया गया है कि अपने इन हाउस आरएण्डडी के अलावा, इस्पात मंत्रालय इस उद्योग, आरएण्डडी प्रयोगशालाओं और शैक्षणिक समुदाय आरएण्डडी प्रयासों की पूर्ति भी कर रहा है। देश में लौह और इस्पात क्षेत्र के लाभ के लिए आरएण्डडी परियोजनाओं के अनुपालन के लिए प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थाओं/अनुसंधान प्रयोगशालाओं और भारतीय इस्पात कंपनियों से आरएण्डडी प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। समिति चाहती है कि आरएण्डडी में संलग्न सभी कंपनियां, वह चाहे निजी कंपनियां हैं या सरकारी क्षेत्र के उपक्रम अथवा मंत्रालय, भारतीय इस्पात उद्योग के बेहतर विकास के सामान्य लक्ष्य को पाने के लिए अपनी प्रौद्योगिकियां साझा करें। (सिफारिश सं. 2)
'विज्ञापन और प्रचार' हेतु पर्याप्त निधियों की सिफारिश की गई	समिति ने नोट किया है कि इस्पात मंत्रालय को 'विज्ञापन और प्रचार' शीर्ष हेतु अपनी आवश्यकतानुसार धनराशि नहीं मिल पा रही है। वर्ष 2020-21 के दौरान, 9.50 करोड़ रुपए की अनुमानित धनराशि की तुलना में वास्तविक आवंटन 1.23 करोड़ रुपए तक ही सीमित कर दिया गया है। वर्ष 2019-20 में भी, जब मंत्रालय ने इस शीर्ष के अंतर्गत 15 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रस्ताव किया, तो केवल 1.00 करोड़ रुपए ही निर्धारित किए गए। वर्ष 2020-21 के दौरान आवंटित धनराशि के उपयोग के संबंध में, समिति को जानकारी दी गई कि इस धनराशि को माननीय इस्पात मंत्री, इस्पात मंत्रालय के माननीय राज्य मंत्री और इस्पात मंत्रालय की

	सोशल मीडिया गतिविधियों के प्रबंधन और इसके अलावा, इस्पात के उपयोग को बढ़ावा देने, गुणवत्ता नियंत्रण आदेश और प्रवर्तन को लोकप्रिय बनाने, उत्पाद विकास और नवोन्मेष के लिए सहायक इस्पात क्षेत्र को बढ़ावा और मान्यता देने आदि के लिए एक एजेंसी को नियुक्त करने के लिए उपयोग किया जाएगा। भारत विश्व के दूसरे सबसे बड़े कच्चे इस्पात उत्पादक के रूप में उभरा है, अतः, समिति यह महसूस करती है कि देश में 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था प्राप्त करने के सरकार के विजन के लिए देश में इस्पात उत्पादन को बढ़ाने के साथ घरेलू इस्पात उपभोग बढ़ाने के लिए विज्ञापन और प्रचार में निवेश की आवश्यकता है। समिति का विचार था कि इस्पात मंत्रालय के लिए विज्ञापन और प्रचार के लिए धनराशि के कम आवंटन से प्रति व्यक्ति इस्पात उपयोग को बढ़ाने में वांछित प्रभाव नहीं पड़ेगा, और इसलिए, समिति ने पुरजोर सिफारिश की है कि इस शीर्ष के अंतर्गत इस संबंध में मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित स्तर की धनराशि का पर्याप्त आवंटन जोर-शोर से अभियान आरंभ करने के लिए किया जाए। (सिफारिश सं. 3)
<u>घरेलू इस्पात उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा की गई कई नीतिगत पहलों की सराहना की गई</u>	समिति ने नोट किया है कि भारत सरकार ने रीजनल काम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप (आरसीईपी) में शामिल न होने का निर्णय किया है। समिति यह भी नोट करती है कि इस्पात उद्योग ने आरसीईपी पर सरकार द्वारा हस्ताक्षर करने की योजना पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। समिति यह भी पाती है कि सरकार ने इस्पात क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक नीतिगत पहलें/उपाय किए हैं, यथा (एक) सेकेंडरी इस्पात और इस्पात आनुषंगिक इकाइयों के विकास हेतु पर्यावरण अनुकूल मॉडल सृजित करने हेतु इस्पात समूह के विकास के लिए नीति संबंधी ढांचा (दो) आधुनिकतम पर्यावरण हितैषी प्रौद्योगिकियों को अपनाते हुए इस्पात उद्योग को वैश्विक प्रतिस्पर्धी के रूप में विकसित करने हेतु 8 नवम्बर, 2019 को स्टील स्क्रैप रिसाइक्लिंग पॉलिसी की अधिसूचना, (तीन) घरेलू विनिर्मित लौह और इस्पात उत्पादों (डीएमआईएंडएसपी) हेतु वरीयता संबंधी नीति को 27.05.2019 को संशोधित किया गया और जो सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रापण हेतु घरेलू मूल्य संवर्द्धन 15-50 प्रतिशत के साथ स्वदेश में निर्मित इस्पात को अधिदेशित करती है, जहां पर अपेक्षित इस्पात का मूल्य कतिपय छूटों के साथ 25 करोड़ भारतीय रुपए से अधिक हो जाती है, (चार) इस्पात और इस्पात उत्पाद (क्यूसी) आदेश, 2019 खराब इस्पात

	उत्पादों के उत्पादन, बिक्री और आयात को प्रतिबंधित करता है और अंतिम प्रयोक्ता के लिए बेहतर इस्पात गुणवत्ता सुनिश्चित करता है, (पांच) उक्त क्षेत्र में लगे हुए कार्मिकों/कर्मचारियों संबंधी विशिष्ट कार्यकलापों/खतरों पर आधारित सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु इस्पात संयंत्रों से जानकारी लेते हुए और व्यापक विचार-विमर्श के बाद आईआईटी खड़गपुर के सुरक्षा विभाग की सहायता से सुरक्षा दिशा-निर्देशों संबंधी प्रारूप तैयार करना, (छह) सरकार और संगत हितधारकों दोनों को इस्पात ग्रेडों, उनकी उत्पत्ति कीमत आदि के तकनीकी विनिर्देशनों पर ग्रैन्यूलर डेटा जैसे इस्पात आयातों के बारे में अग्रिम सूचना प्रदान करने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, और इस्पात मंत्रालय द्वारा संस्थापित इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस) (सात) ब्राजील, चीन और जर्मनी के विरूद्ध सितम्बर, 2024 तक ''नॉन-कोबाल्ट ग्रेड का हाई स्पीड स्टील'' के आयात पर पाटनरोधी शुल्क जैसे व्यापार संबंधी उपचारात्मक उपाय, सितम्बर, 2024 तक चीन और वियतनाम पर ''वेल्डिड स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड टयूब्स'' के आयात पर प्रतिकारी शुल्क और चीन, वियतनाम और कोरिया पर ''एल्यूमिनियम एंड जिंक कोटिड फ्लैट प्रोडक्ट'' (गैलवैल्यूम) के आयात पर पाटनरोधी शुल्क, (आठ) खनिज नियम, 2015 में संशोधन और राज्य सरकारों के लिए यह अनिवार्य करना की खनन पट्टों को सरकारी कंपनियों को ही प्रदान करे, (नौ) सेल का लौह अयस्क आदि के कुल उत्पादन के 25 प्रतिशत की बिक्री की अनुमति। सरकार द्वारा की गई नीतिगत पहलों/उपायों की सराहना करते हुए, समिति का यह मानना है कि ये उपाय न केवल घरेलू इस्पात उद्योग में दीर्घावधि तक गति बरकरार रखेंगे बल्कि भारत को विश्व में दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक के रूप में अपना स्थान बनाए रखने में भी सहायक होंगे। (सिफारिश सं. 5)
<u>लंबित अनुमति को क्लियर करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से इस्पात मंत्रालय द्वारा अनुरोध किया जाना चाहिए</u>	समिति को जानकारी दी गई थी कि खनन प्रचालनों के लिए आवश्यक मौजूदा सांविधिक अनापत्तियां यथा पर्यावरण अनापत्ति और वन अनापत्ति काफी समय लेती हैं। इसी कारण से विभिन्न सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की प्रमुख परियोजनाएं लंबित हैं। ऐसे कई मामलों में से केआईओसीएल भी एक है, जिसक कई खनन प्रचालन या तो एक या दोनों अर्थात पर्यावरण और वन अनापत्तियों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस संबंध में, समिति शिद्दत से चाहती है कि इस्पात मंत्रालय, इस्पात कंपनियों की चिंता

	के निपटान हेतु इस मामले को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) के साथ उच्चतम स्तर पर उठाएगा। समिति एमओईएफएंडसीसी मंत्रालय से यह भी आग्रह करती है कि वह संतुलित तरीके से खनन प्रचालनों हेतु अन्य लंबित अनापत्तियों में गति लाए ताकि कंपनियां न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभाव को सुनिश्चित करने के अतिरिक्त, अपने प्रचालनों को शुरू कर सकें। (सिफारिश सं. 6)
<u>सेल से दक्षता में सुधार लाने और नुकसान पर अंकुश लगाने की अपेक्षा की गई</u>	समिति चिंता के साथ नोट करती है कि सेल को वर्ष 2017-18 के दौरान हानियां हुई। यद्यपि, वर्ष 2018-19 के दौरान, कंपनी को 2179.00 करोड़ रुपए का लाभ हुआ, वर्ष 2019-20 में, सेल को फिर से दिसम्बर, 2019 तक 704 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। समिति ने नोट किया है कि सेल के पास लगभग 5000 करोड़ रुपए की लागत की 7-8 बड़ी परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं और इन्हें आगामी वर्षों में शुरू किए जाने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, सेल अपने इस्पात संयंत्रों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों के लिए नए उत्पादों के विकास में भी शामिल रहा है। जैसा कि बताया गया है, सेल अब आधुनिकीकरण और विस्तार योजना की पूरी क्षमता हासिल करने पर ध्यान केन्द्रित करेगी, जो विभिन्न संयंत्रों/इकाइयों में पूरी की गई है। इसको ध्यान में रखते हुए, समिति अप्रैल, 2019 से जनवरी, 2020 तक सेल द्वारा रेलवे को की गई 10.46 लाख टन वृद्धि आपूर्ति को भी नोट करती है जो विगत वर्ष की संबंधित समान अवधि (सीपीएलवाई) से 37 प्रतिशत अधिक है। इसी तरह, सेल की अप्रैल, 2019 से जनवरी, 2020 तक निर्यात बिक्री 1.02 मीट्रिक टन रही, जो कंपनी की अब तक सबसे बेहतरीन निर्यात बिक्री है। समिति ने आशा की है कि सेल विभिन्न स्तरों पर अपनी क्षमता और उत्पादन में सुधार पर पूरा ध्यान केन्द्रित करेगा और अपने उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ोतरी के द्वारा लाभ अर्जित करने पर जोर देगा। समिति ने यह भी चाहा है कि सेल लागत कम करने वाले उपायों के साथ-साथ नुकसानों को न्यूनतम करने के लिए कुछ तात्कालिक अल्पकालिक उपाय करे। (सिफारिश सं. 7)

<u>चिरिया खान की पट्टा अवधि को बढ़ाने का अनुरोध किया गया</u>	समिति ने पाया है कि जून, 2018 में एमओईएफएंडसीसी द्वारा अनुमोदित सतत खनन की प्रबंधन योजना (एमपीएसपी) में चिरिया खान पट्टों (धोबिल पट्टे में खंडित क्षेत्र के सिवाय) को ''गैर-खनन क्षेत्र'' के रूप में प्रस्तावित किया गया है। समिति को यह जानकारी दी गई है कि सेल के पास लगभग 3.5 बिलियन टन के कुल उपलब्ध लौह अयस्क संसाधन में से, लगभग 42 प्रतिशत अर्थात 1.5 बिलियन टन एक ही स्थान अर्थात झारखंड में चिरिया खानों में उपलब्ध है। समिति ने यह भी नोट किया है कि चिरिया खानों का शीघ्र विकास केवल इस्पात संयंत्रों की मांग को पूरा करने के लिए ही आवश्यक नहीं है जिनके लिए विस्तार पहले ही किया जा चुका है, बल्कि राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 और सेल विजन 2030 के अनुसार योजनाबद्ध सेल की विस्तार परियोजनाओं के लिए भी आवश्यक है। समिति ने पाया है कि इस संबंध में, भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई) ने आईसीएफआरई, भारतीय वन सर्वेक्षण, एमओईएफएंडसीसी, आईआईटी (आईएसएम) धनबाद, आईआईटी (आईएसएम) धनबाद, आईआईटी खड़गपुर, खान मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय और झारखंड सरकार के सदस्यों को शामिल करते हुए पुनः मूल्यांकन समिति का गठन किया है, जो उक्त मामले में अपने प्रतिवेदन को समयबद्ध तरीके से प्रस्तुत करेगी। इस बीच यह बताया गया है झारखंड सरकार गैर खनन क्षेत्र का हिस्सा होने के कारण 31.03.2020 के बाद चिरिया पट्टों की पट्टा अवधि को आगे बढ़ाने पर विचार नहीं कर रही है। समिति ने चाहा है कि चिरिया खानों के रणनीतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए, जो सेल की प्रचालन खानों पर कम होते संसाधनों की दृष्टि से भावी विस्तार हेतु जरूरी है, इस्पात मंत्रालय को इस मामले को तत्काल पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के साथ उठाना चाहिए, ताकि पुनः मूल्यांकन समिति प्रतिवेदन को यथाशीघ्र प्रस्तुत कर सके और धोबिल पट्टे को छोड़कर, जिसकी अवधि 31.03.2020 से 2038 तक पहले ही बढ़ा दी गई है, चिरिया पट्टों की अवधि को आगे बढ़ाने की आवश्यक कार्रवाई की जाए। (सिफारिश सं. 8)

<u>आरआईएनएल को घाटे को कम करने की सलाह दी गई</u>	जहां तक आरआईएनएल के वित्तीय कार्य निष्पादन का संबंध है, समिति नोट करती है कि कंपनी को वर्ष 2017-18 के दौरान-1369.01 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। वर्ष 2018-19 के दौरान कंपनी में थोड़ा सुधार हुआ और उसने 96.71 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया, लेकिन पुनः वर्ष 2019-20 के दौरान आरआईएनएल को भारी नुकसान हुआ और तीसरी तिमाही तक पीएटी-3990.33 करोड़ रुपए हुआ। समिति यह नोट करती है कि आरआईएनएल द्वारा अनेक प्रयास किये जाने के बावजूद यह वित्तीय संकट पर काबू पाने में समर्थ नहीं है। समिति को सूचित किया गया है कि आरआईएनएल ने अपने नुकसानों को रोकने के तरीके सुझाने के लिए एक तकनीकी सलाहकार को भी नियुक्त किया है। समिति की इच्छा है कि आरआईएनएल नुकसानों को रोकने के लिए सभी अड़चनों को दूर करने के लिए उचित उपाय करे और उसे इस संबंध में उठाए गए कदमों से अवगत कराया जाए। (सिफारिश सं. 9)
<u>छत्तीसगढ़ के नागरनार में 3.0 एमटीपीए संयंत्र को शीघ्र पूरा करने का आग्रह किया गया</u>	समिति ने एनएमडीसी लिमिटेड के पिछले 3 वर्षों के परियोजना-वार व्यय की जांच करते हुए नोट किया है कि 2017-18 में 3697.00 करोड़ रुपये और 2018-19 में 3778.00 करोड़ रुपये की योजना की तुलना में, क्रमशः 2345.68 करोड़ रुपये और 2090.17 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया जा सकता है। वर्ष 2019-20 के दौरान, आरई स्टेज पर 3010.00 करोड़ रुपये के योजना परिव्यय को घटाकर 1822 करोड़ रुपये और जनवरी,2020 तक के वास्तविक उपयोग को 1965.34 करोड़ रुपये कर दिया गया। समिति ने एनएमडीसी लिमिटेड द्वारा पिछले 2 वर्षों और 2019-20 के दौरान योजना परिव्ययों और व्यय में बहुत बड़ा अंतर पाया है, जो नागरनार स्थित 3.0एमटीपीए संयंत्र के चालू होने के बाद उन परियोजनाओं के पूर्ण न होने/धीमी प्रगति को दर्शाता है, जिन्हें मई, 2015 तक पूरा किया जाना था। समिति को सूचित किया गया है कि नगरनार परियोजना के लिए बड़े प्रतिमान जैसे कंक्रीटिंग, संरचनात्मकऔर उपकरण की आपूर्ति लगभग 96.97% पूर्ण है, जबकि संरचनात्मक निर्माण 94% पूर्ण है। समिति चाहती है कि जुलाई,2020 तक इसे पूरा करने के लिए सभी एहतियाती कदम उठाए जाएं, जो शुरू किये जाने की संशोधित तारीख है। (सिफारिश सं. 11)